भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5151
दिनांक 24 मार्च, 2026 / 03 चैत्र, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

स्वतंत्रता सेनानियों को शहीद का दर्जा

5151. श्री सनातन पांडेय:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों को 'शहीद' का दर्जा प्रदान किया है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे अनेक स्वतंत्रा सेनानियों को आज भी 'शहीद' का दर्जा नहीं दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या देश में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 'शहीद' का दर्जा देने की लंबी समय से मांग की जा रही है और क्या देश के नागरिकों ने उन्हें भारत रत्न देने की भी मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ङ): भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानी, जिनमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शामिल हैं, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शहीद हो गए। इन स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका अमूल्य योगदान हमारे स्वतंत्रता संग्राम का अभिन्न अंग है तथा इतिहास में सर्वविदित है। स्वतंत्रता हेतु में देश के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5151 दिनांक 24.03.2026

एक सत्य है और आधिकारिक अभिलेखों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं है। उनकी प्रतिष्ठा इस संबंध में दिए गए किसी भी पुरस्कार, उपाधि अथवा दर्जे से कहीं अधिक है। राष्ट्र शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सदा कृतज्ञ रहेगा, जिन्होंने भारत के बेहतर भविष्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनके नाम सदा ही भारतीय इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अंकित रहेंगे। सरकार और पूरा राष्ट्र भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हुए स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान को स्वीकार करते हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स: इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1857 टू 1947' में इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के नाम भी शामिल हैं। भारत सरकार की यह मान्यता सन् 1947 से जस की तस है।
